सुन्दरलाल पटवा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, मन्दसौर
जिला मन्दसौर , मध्य प्रदेश

Email:deanspgmcmandsaur@gmail.com Website: www.spgmcmandsaur.org

क्रमांक:1278/स्थापना/2025 मंदसौर, दिनांक 15/07/2025

विज्ञप्ति सीनियर रेसीडेन्ट (SR)

म.प्र.शासन चिकित्सा शिक्षा मंत्रालय भोपाल के पत्र पृ. क्रमांक/एफ 2/1/14/0013/2023/55-2 भोपाल दिनांक 21/11/2023 द्वारा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, मंदसौर हेतु सीनियर रेसीडेन्ट के पद स्वीकृत किए गए है। साथ ही म.प्र. शासन चिकित्सा शिक्षा मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रं. 89/एफ 2-42/2007/1/55 (पार्ट) भोपाल दिनांक 12/01/2024 के द्वारा सीनियर रेसीडेन्ट की चयन प्रक्रिया एवं पात्रता शर्तो के अनुक्रम में सुंदरलाल पटवा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, मंदसौर (म.प्र.) में सीनियर रेसीडेन्ट (SR) के निम्नांकित रिक्त पदों पर रोस्टर सीमित द्वारा रोस्टर संधारण कर सीमित पदावधि से पदों की पूर्ति हेतु निर्धारित प्रारूप में प्रत्येक सप्ताह के गुरूवार को कार्य दिवस में वॉक-इन-इंटरव्यु हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते है :-

Sl.No	Department	Total Post	UR	OBC	SC	ST	EWS
1.	Anatomy	3	1	1	0	1	0
2.	Physiology	3	1	1	0	1	0
3.	Biochemistry	3	1	1	0	1	0
4.	Pathology	1	1	0	0	0	0
5.	Pharmacology	2	0	1	0	1	0
6.	Microbiology	2	1	0	0	1	0
7.	Forensic Medicine & Toxicology	3	1	1	0	1	0
8.	General Medicine	4	1	1	1	1	0
9.	General Surgery	4	2	0	1	1	0
10.	Radio diagnosis	3	1	1	0	1	0
	Total	**28**	**10**	**7**	**2**	**09**	**0**

सीनियर रेसीडेन्ट (निर्वाचित वेतन रू. 88210/- प्रतिमाह)

नोट – इच्छुक अभ्यार्थी आवेदन पत्र संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, भोपाल (म.प्र.) (Website : https://medicaleducation.mp.gov.in/), महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) (Website : https://www.mgmmcindore.in/), डॉ.लक्ष्मीनारायण पाण्डेय मेडिकल कॉलेज, रतलाम (म.प्र.) (Website : https://gmcratlam.org/), नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय मेडिकल कॉलेज, खंडवा (म.प्र.) (Website : https://gmckhandwa.org/), एवं सुंदरलाल पटवा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, मंदसौर (म.प्र.) (Website : https://spgmcmandsaur.org/) की वेबसाइट से प्राप्त कर सकते है।

आवेदक पूर्ण रूप से भरे आवेदन पत्र एवं समस्त मूल दस्तावेजों (साथ में एक स्वप्रमाणित छायाप्रति के साथ) के साथ स्क्रुटनी हेतु प्रत्येक गुरूवार को प्रतिदिन प्रात: 10:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक महाविद्यालय में उपस्थित रहें। प्रमाण पत्रों एवं दस्तावेजों के स्क्रुटनी पश्चात साक्षात्कार उसी दिन दोपहर 3:00 बजे से प्रारंभ होगें।

साक्षात्कार हेतु आवेदक आवश्यक अभिलेखों/प्रमाणपत्रों की मूल प्रति तथा अभिप्रमाणित छायाप्रतियों के साथ उपस्थित होना अनिवार्य होगा। इस हेतु पृथक से कोई सूचना नहीं दी जावेगी।

मध्यप्रदेश शासन के नवीनतम आदेश क्रमांक के प्रावधान अनुसार सभी स्नातकोत्तर छात्र जिनका चयन सीनियर रेसीडेन्ट के पद पर होगा उन्हें ग्रामीण सेवा के बांड से इस शर्त के साथ मुक्त किया जाएगा कि बांड अवधि के बराबर अवधि तक महाविद्यालय में इस पद पर सेवाएँ देगें। उक्त अवधि के पूर्व सेवा छोडने की स्थिति से ग्रामीण/अधिसूचित क्षेत्रों में सेवा हेतु किये गये बाण्ड की शर्ते लागू हो जाएगी और उन्हें निर्धारित अवधि तक ग्रामीण सेवा करनी होगी।

इस विज्ञापन की वैधता विज्ञापन जारी होने के दिनांक से 1 वर्ष तक अथवा किसी कारणवश नया विज्ञापन जारी करने की स्थिति में नये विज्ञापन जारी होने तक अथवा दोनों में से जो भी पहले होगी, वो रहेगी। रिक्तियों की स्थिति समय-समय पर संस्था की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जावेगी।

अधिष्ठाता
सुंदरलाल पटवा शासकीय चिकित्सा
महाविद्यालय, मंदसौर

Email:deanspgmcmandsaur@gmail.com Website: www.spgmcmandsaur.org

वॉक-इन-इंटरव्यू हेतु नियम एवं शर्ते।

आवेदन पत्र जमा करने की प्रक्रिया :- अभ्यार्थियों से अपेक्षित है कि वे साक्षात्कार हेतु भरे हुए आवेदन पत्र एवं समस्त मूल दस्तावेजों (साथ में एक स्वप्रमाणित छायाप्रति के साथ) के साथ अधिष्ठाता कार्यालय सुंदरलाल पटवा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, मंदसौर में गुरूवार को प्रात: 10:00 बजे उपस्थित होना सुनिश्चित करेगें।

आवेदन शुल्क :- सभी अभ्यार्थियों के लिये आवेदन नि:शुल्क होगा।

साक्षात्कार – प्रत्येक गुरूवार, समय प्रात:काल 10:00 बजे, अधिष्ठाता कार्यालय, चिकित्सा महाविद्यालय, मंदसौर के सभाकक्ष में निर्धारित रहेगा।

नियम एवं निर्देश :- म.प्र. शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक 89/एफ 2-42/2007/1/55 (पार्ट) भोपाल, दिनांक 12/01/2024 द्वारा जारी सीनियर रेसीडेन्ट की चयन/भर्ती प्रक्रिया एवं पात्रता निम्नानुसार होगी :-

1. सीनियर रेसीडेन्टस

पात्रता :-

(i) सीनियर रेसीडेन्ट के पद हेतु आवेदन जमा करने की तिथि के पाँच (05) वर्ष के अंदर एम.डी./एम.एस./डी.एन.बी. पाठयक्रम उत्तीर्ण करने वाले चिकित्सक पात्र होगे।

(ii) चिकित्सक की उम्र 45 वर्ष से कम होनी चाहिए।

होगी एन.एम.सी. द्वारा समय-समय पर जारी अर्हतायें स्वत: लागू होगी।

अपात्रता :-

(i) एम.डी./एम.एस./डी.एन.बी. पाठयक्रम की अध्ययनरत अवधि में अधिष्ठाता/प्राचार्य चिकित्सा महाविद्यालय/ संस्था द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन कर चिकित्सकीय कार्य न किया जाना अथवा महाविद्यालय/संस्था से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहना।

(ii) विधि द्वारा स्थापित नियमों के विरूद्ध किसी अवधि के लिये चिकित्सकीय कार्य से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहना।

(iii) पाठयक्रम अवधि में छात्र/छात्रा के विरूद्ध अपराधिक प्रकरण संस्थित होना।

(iv) पाठयक्रम अवधि में पदीय कर्तव्यों में लापरवाही, अधिष्ठाता, अशोभनीय व्यवहार अथवा अनुशासनहीनता पाये जाने पर।

(v) बिन्दु (i) से (iv) में दर्शित कारणों से चिकित्सकीय कार्य से अनुपस्थित रहने की स्थिति में ऐसे छात्र/छात्राएं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन संचालित किसी संस्था में सेवा के लिये पात्र नहीं माने जायेगे।

नृ द समस्त आवेदकों को इस आशय का स्व-घोषित शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट-2) अनुसार प्रस्तुत करना होगा कि बिन्दु (i) से (iv) में दर्शित कारणों में से अथवा अन्य किसी कारण से उनके विरूद्ध कोई वैधानिक/अनुशासनात्मक कार्यवाही न ही संस्थित की गई है और न ही वर्तमान में कोई कार्यवाही प्रचलन में है।

चयन विधि :-

(i) अधिष्ठाता की अध्यक्षता में चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से चिकित्सकों का चयन किया जायेगा।

(ii) चयन हेतु प्रथमत: प्रदेश के अन्य स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय से उत्तीर्ण चिकित्सकों पर विचार किया जावेगा। तत्पश्चात निजी चिकित्सा महाविद्यालय/अन्य प्रदेश के शासकीय/निजी चिकित्सा महाविद्यालयों के उम्मीदवारों पर विचार किया जायेगा।

(iii) चिकित्सक द्वारा जिस विषय में एम.डी./एम.एस/डी.एन.बी. किया है, उसी विषय के लिये पात्रता होगी।

(iv) चयन का क्रम क्रमश: डिग्रीधारी, डी.एन.बी. होगा।

(v) योग्य अभ्यार्थियों का चयन, चयन समिति द्वारा निर्धारित चयन के मापदण्ड एवं प्रोराटा के आधार पर नियत होगा (परिशिष्ट -3)।

(vi) चयनित सीनियर रेसीडेन्ट को निजी प्रैक्टिस की पात्रता नहीं होगी।

Email:deanspgmcmandsaur@gmail.com Website: www.spgmcmandsaur.org

टेन्युअर (Tenure) :-

(i) टेन्युअर की अवधि 03 वर्ष होगी।

(ii) 01 वर्ष की टेन्योर अवधि पूर्ण होने पर विभागाध्यक्ष द्वारा संबंधित का कार्य संतोषप्रद होने संबंधी की गई अनुशंसा के आधार पर आगामी वर्ष के लिये बढाया जायेगा।

(iii) विभाग में पदस्थ सीनियर रेसीडेन्ट के संबंध में संबंधित विभागाध्यक्ष की प्रतिकुल टिप्पणी प्राप्त होने पर अधिष्ठाता को संबंधित विभागाध्यक्ष, संबद्ध चिकित्सालय के अधीक्षक तथा 02 वरिष्ठतम प्राध्यापक की गठित समिति के परामर्श से ऐसे सीनियर रेसीडेन्ट की नियुक्ति बिना किसी पूर्व सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त करने के अधिकार प्रदत्त होगा। इस प्रकार से पृथक किये गये चिकित्सक को इस पद हेतु पुन: आवेदन करने की पात्रता नहीं होगी।

(iv) विभागाध्यक्ष द्वारा संबंधित चिकित्सक के अनाधिकृत रूप से अवकाश पर रहने अथवा कार्य संतोषप्रद न होने संबंधी प्रतिवेदन प्रस्तुत करने पर उसकी सेवाये तत्काल प्रभाव से समाप्त करने के अधिकार अधिष्ठाता को प्रदत्त होगे।

आरक्षण :-

ोगी राज्य शासन द्वारा अद्यतन निर्धारित आरक्षण व्यवस्था लागू होगी।

(ii) निर्धारित/ट्यूटरों/चिकित्सा अधिकारियों का चयन किया जायेगा। तदोपरांत सीनियर रेसीडेंसी हेतु अन्य चिकित्सकों का चयन होगा।

(iii) आरक्षित वर्ग के रिक्तियों के विरूद्ध चिकित्सक उपलब्ध न होने पर अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछडा वर्ग, सामान्य श्रेणी के क्रम से उपलब्ध चिकित्सकों से भरी जा सकेगी।

अवकाश :-

सीनियर रेसीडेन्ट को प्रति सप्ताह 01 दिवस के अवकाश की पात्रता होगी तथा प्रतिवर्ष 12 दिवस के आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी, साप्ताहिक अवकाश संचित नही किया जा सकेगा। अवकाश के समस्त प्रकरणों पर अधिष्ठाता का निर्णय अंतिम होगा।

शिष्यावृत्ति :-

मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित तत्समय प्रचलित सीनियर रेसीडेंट हेतु शिष्यावृत्ति देय होगी।

2. प्रदर्शकों/टयुटरो/चिकित्सा अधिकारियों का सीनियर रेसीडेन्ट में चयन :-

पात्रता :-

(i) सीनियर रेसीडेन्ट के पद हेतु आवेदन जमा करने की तिथि के पांच (05) वर्ष के अंदर एम.डी./एम.एस./डी.एन.बी. पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने वाले चिकित्सक पात्र होंगे।

होगी एन.एम.सी. द्वारा समय-समय पर जारी अर्हतायें स्वत: लागू होगी।

(iii) जिस प्रदर्शक /टयूटर/चिकित्सा अधिकारी ने जिस विषय में एम.डी./एम.एस./डी.एन.बी. किया है, उसकी सिर्फ उसी विषय के लिये सीनियर रेसीडेन्सी की पात्रता रहेगी।

चयन विधि :-

(i) ऐसें प्रदर्शकों/टयूटरों/चिकित्सा अधिकारियों ने एम.डी./एम.एस./डी.एन.बी. पाठयक्रम उत्तीर्ण किया है, उन्हें सीनियर रेसीडेन्ट के पद के लिये सर्वप्रथम प्राथमिकता प्रदान की जावेगी।

(i स साक्षात्कार के समय जिन प्रदर्शकों/टयूटरों/चिकित्सा अधिकारियों ने उसी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों से एम.डी./एम.एस. किया है उन्हें प्राथमिकता दी जावेगी उसके बाद मध्यप्रदेश के किसी भी अन्य शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय से उत्तीर्ण चिकित्सकों को प्राथमिकता दी जावेगी। तदोपरांत रिक्तियां रहने पर निजी चिकित्सा महाविद्यालय के उम्मीदवारों पर विचार किया जायेगा।

सीट का आरक्षण :-

ोगी राज्य शासन द्वारा अद्यतन निर्धारित आरक्षण व्यवस्था लागू होगी।

(ii) निर्धारित आरक्षित/अनारक्षित श्रेणी की रिक्त सीटों के विरूद्ध प्रथमत: संबंधित श्रेणी के प्रदर्शकों/टयूटरों/चिकित्सा अधिकारियों का चयन किया जायेगा।

सुन्दरलाल पटवा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, मन्दसौर
जिला मन्दसौर , मध्य प्रदेश

Email:deanspgmcmandsaur@gmail.com Website: www.spgmcmandsaur.org

वेतन भत्ते :-

प्रदर्शक /टयूटर/चिकित्सा अधिकारी को अपने पद से संबंधित वेतन भत्तों की पात्रता होगी।

अवकाश :-

इनको सीनियर रेसीडेन्ट के पद पर हरते हुये 12 दिवस के आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी तथा सप्ताह में 01 दिवस अवकाश की पात्रता होगी। सीनियर रेसीडेन्ट के पद पर रहते हुये मूल पद से जुडे किसी अन्य प्रकार के अवकाश की पात्रता नहीं होगी।

टीप :-

जिन प्रदर्शकों/टयूटरों/चिकित्सा अधिकारियों को सीनियर रेसीडेन्ट के पद पर पदस्थ किया गया है, ऐसे प्रदर्शक/टयूटर/ चिकित्सा अधिकारी का अपने मूल पद के विरूद्ध धारणाधिकार स्थापित रहेगा, जिस कारण चिकित्सा महाविद्यालय उक्त पद के विरूद्ध किसी अन्य चिकित्सक को नियुक्त नहीं करेगा।

यात्रा भत्ता :-

साक्षात्कार के लिये किसी भी अभ्यार्थी को यात्रा भत्ता इस संस्था द्वारा नही दिया जावेगा उन्हें स्वयं के व्यय पर यात्रा करना होगा।

अधिष्ठाता
सुंदरलाल पटवा शासकीय चिकित्सा
महाविद्यालय, मंदसौर

O/C